संख्या-05/2020/7082/96-आयुष-1-2019-14/2020

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 05 फरवरी, 2020**

विषय-वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में इनोवेशन कार्यक्रम हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-445/381/योजना/2019-20; दिनांक 30.12.2019 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में इनोवेशन कार्यक्रम हेतु महाविद्यालयवार (संलग्न सूची के अनुसार) कुल धनराशि रू0-10.00 लाख (रूपया दस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष एकमुश्त धनराशि रू0-10.00 लाख (रूपया दस लाख मात्र) अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

1- अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का प्रयोग केवल इनोवेशन कार्यक्रम हेतु ही किया जायेगा।
2- संबंधित महाविद्यालय के एक प्रोफेसर को इनोवेशन कार्यक्रम हेतु प्रभारी प्राध्यापक नामित किया जायेगा एवं उनके अधीन एक प्रवक्ता सहायक प्रभारी होंगे। इनके द्वारा इनोवेशन, रिसर्च, क्लीनिकल स्टडी, फील्ड स्टडी आदि के लिए एक विषय/क्षेत्र निर्धारित कर इनोवेशन हेतु एक कार्ययोजना तैयार की जायेगी।
3- इनोवेशन सेंटर के कार्यकलापों एवं परिणामों को प्रतिवर्ष प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित कर शासन को सूचित भी किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 101-आयुर्वेद, 09-आठ आयुर्वेदिक महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में इनोवेशन कार्यक्रम -00 के मानक मद 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-05/2020/7082(1)/96-आयुष-1-19, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) संबंधित प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(6) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-05/2020/7082(1)/96-आयुष-1-19-14/2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020 का संलग्नक।

क्र0 सं0	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का नाम	प्रस्तावित कार्यक्रम	प्राविधानित धनराशि (रू0)
1	2	3	4
1	पीलीभीत	To evaluate efficacy of indigenous compound in cases of Chronic liver disorders, Chronic dermatitis	1,25,000.00
2	बरेली	To evaluate efficacy of indigenous compound in cases of Eczema	1,18,000.00
3	लखनऊ	To evaluate the efficacy of panchkola Chuna, Kanchnar Guggulu, Nashtapushpantaka Rasa & Kumaryasava in the management of Polycystic Ovarian Syndrome	1,40,000.00
4	मुजफ्फरनगर	To evaluate efficacy of indigenous compound in cases of Madhumeh & Katishool	1,50,000.00
5	हण्डिया प्रयागराज	Clinical Evaluation of panchamrit lauh guggulu & anu tail nasya in the management of cervical spomdylosis	1,25,000.00
6	अतर्रा बांदा	To evaluate efficacy of indigenous compound in cases of Aplastic Anaemia	1,25,000.00
7	वाराणसी	To evaluate efficacy of yog raj rasayan in Pandu roga	1,17,000.00
8	झांसी	To evaluate efficacy of indigenous compound in cases of Madhumeh & Psoriasis	1,00,000.00
		कुल योग	10,00,000.00

राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in